न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 144/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/247

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.अमराराम पुत्र दीपा 2.मेना पुत्र दीपा 3.दुर्गा पुत्र दीपा 4.बाबू पुत्र दीपा 5.वगता पुत्र दीपा जाति जाट निवासी बोटाला पुरोहितान तहसील पचपदरा,जिला बालोतरा		1.सरपंच ग्राम पंचायत चांदेसरा 2.गोपीदेवी पत्नी अनोपसिंह 3.महिपालसिंह पुत्र अनोपसिंह 4.सुशीला पुत्र अनोपसिंह 5.हरीश सिंह पुत्र अनोपसिंह 6.छगना पुत्र प्रतापाराम जाति पुरोहित 7.कमला देवी पत्नि भोमाराम 8.भगा पुत्र दमा 9.भूराराम पुत्र दमा 10. मोटाराम पुत्र दमा 11. कुंभाराम पुत्र भीया 12.चेनाराम पुत्र हेमाराम 13.छगनलाल पुत्र हेमाराम नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता सोनीदेवी पत्नी हेमाराम 14.भगा पुत्र आदू 15.मूलाराम पुत्र आदूराम 16.रमेश कुमार पुत्र हेमाराम 17.लक्ष्मीदेवी पत्नी भगाराम 18.लालाराम पुत्र भीयाराम 19.वीरोदेवी पत्नी भगाराम 20.सोनीदेवी पत्नी हेमाराम जाति जाट 21.उषा कंवर पत्नी जालमसिंह 22.कूपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 23.चन्द्रकंवर पत्नी शैतानसिंह 24.नरेश कंवर पत्नी मनोहरसिंह 25.प्रिंयन्का कंवर पत्नी कुपसिंह 26.मन्जु कंवर पत्नी लालसिंह

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

27.मनोहरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह

28.लालूसिंह पुत्र उम्मेदसिंह

जाति राजपूत

29.जोगसिंह पुत्र राजूसिंह

जाति पुरोहित

निवासी बोटाला पुरोहितान

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

30.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 17.10.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बोटाला पुरोहितान तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 181 क्षेत्रफल 12.8609 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बोटाला पुरोहितान तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 181 क्षेत्रफल 12.8609 हैक्टेयर, भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बोटाला पुरोहितान तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 181 क्षेत्रफल 12.8609 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बोटाला पुरोहितान तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 181 क्षेत्रफल 12.8609 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बोटाला पुरोहितान तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 181 क्षेत्रफल 12.8609 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओ मे विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.4.2023 की प्रमाणित प्रति अनुसार विवादित आराजी खसरा संख्या 181 की सीमाज्ञान कार्यवाही की गई,जिसमे विवादित आराजी के सेढा को लेकर विवाद की कोई टिप्पणी अंकित नही है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन धारा 111 मे निहित प्रावधानो के तहत बनता ही नही है,क्योकि सीमाज्ञान मौका फर्द मे विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद होने का उल्लेख नही है। अतः प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण मे राहत प्राप्त करने के हकदार नही है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
17/10/2025

आदेश आज दिनांक 17/10/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
17/10/2025